

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

राज्य स्कीम

सं०- 5/निदे०-महा० वि०-56-03/2015- 125

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,
निदेशक।

सेवा में,

उप निदेशक (मु०)

-सह-

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति
कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 13.2.2018

विषय: महादलित विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष-2017-18 में राज्य स्कीम से बिहार महादलित विकास मिशन को अनुदान के रूप में सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण में ₹10500.00 लाख (एक अरब पाँच करोड़ रू०) मात्र का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महादलित विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष-2017-18 में राज्य स्कीम से बिहार महादलित विकास मिशन को अनुदान के रूप में सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण में ₹10500.00 लाख (एक अरब पाँच करोड़ रू०) मात्र की स्वीकृति पत्रांक-123 दिनांक 05.02.2018 द्वारा प्रदान की गयी है। तदनुसार सम्पूर्ण स्वीकृत राशि सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण में ₹10500.00 लाख (एक अरब पाँच करोड़ रू०) मात्र आवंटित की जाती है।

2- आवंटित राशि का व्यय राज्य स्कीम मद से मांग संख्या-44 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण, लघु शीर्ष-102-आर्थिक विकास, उपशीर्ष-0115-महादलित विकास हेतु-विषय शीर्ष-0115.31.05-सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण-विपत्र कोड-44-2225011020115 राज्य स्कीम के अन्तर्गत विकलनीय है।

3- इस आवंटित राशि के लिए निकासी पदाधिकारी उपनिदेशक(मु०), अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग होंगे। वे राशि की निकासी कर बिहार महादलित विकास मिशन, पटना के पी० एल० खाता संख्या PLA-264 में हरतांतरित करेंगे। मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना द्वारा मिशन कार्यालय के पत्रांक-1521 दिनांक-04.12.2017 में उल्लेखित योजनाओं पर ही राशि का व्यय नियमानुसार किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

4- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक- 2561 दिनांक 17-4-98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में करेंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

5- महालेखाकार, बिहार को इस राशि से व्यय से संबंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा।

6- राशि के समुचित एवं नियमानुसार उपयोग के लिए मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा योजना से संबंधित व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में विभाग का निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

7- नये सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड का निर्माण की योजना का कार्यान्वयन स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग के माध्यम से कराया जायेगा। साथ ही, मुख्य अभियंता, स्थानीय

क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक 1903 दिनांक 30.11.2017 द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन (Model Estimate) के आलोक में निम्नांकित दर पर कार्य करायी जाएगी :-

क्र०	कार्य का नाम	तकनीकी अनुमोदित राशि (रूपये में)
1	सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड निर्माण (Open Foundation)	₹23,29,100.00 (तेईस लाख उनतीस हजार एक सौ ₹०)
2	सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड निर्माण (Pile Foundation)	₹23,76,400.00 (तेईस लाख छिहत्तर हजार चार सौ ₹०)

8- सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को इस राशि के आवंटन की सूचना दी जा रही है।

9- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य स्कीम मद में बजट प्राक्धान एवं योजना उद्व्यय उपलब्ध है।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार) / 8/12/18
निदेशक

ज्ञापांक- 5/निदे०-महा० वि०-56-03/2015- 125

पटना, दिनांक: 8.2.2018

प्रतिलिपि: (1) महालेखाकार, वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रधान सचिव वित्त विभाग, बजट, शाखा/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/ सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, निगरानी विभाग/अपर सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना/मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी उप विकास आयुक्त/ सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला योजना पदाधिकारी/सभी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/मिशन निदेशक बिहार महादलित विकास मिशन, पटना/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/ उप निदेशक (मु०)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सहायक निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/अवर सचिव, प्रभारी बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/लेखा शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग (दोहरी प्रति में)/आई० टी० मैनेजर/प्रशाखा पदा०-4(निदे०), अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/साख्यकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(5) कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Adi

निदेशक / 8/2/18